

संख्या फिन-ए-सी (6)1/2023  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (वित्त),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
हिमाचल प्रदेश।


दिनांक शिमला-171002, 20/03/2024

विषय:  
महोदय,

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 1).

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 1) में प्रावधित करवाई गई राशि, जो अनुपूरक अनुदान मांगें वर्ष 2023-24 से सम्बन्धित है, को विधान सभा द्वारा दिनांक 16.02.2024 को बिना परिवर्तन किए पारित कर दिया है। राज्यपाल महोदय ने भी इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दिनांक 07.03.2024 को प्रदान कर दी है और यह विधेयक वर्ष 2024 के अधिनियम संख्याक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में दिनांक 18.03.2024 को प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,




(प्रदीप कुमार)

संयुक्त सचिव(वित्त),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-171002,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
2. महालेखाकार (ले० व० ह०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
3. उप-विधिपरामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हि० प्र० सरकार, शिमला-171002.



(प्रदीप कुमार)  
संयुक्त सचिव(वित्त),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

\*\*\*